डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं. 03 में परिवहन विभाग को आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (क्षेत्रफल 2.02 है0)

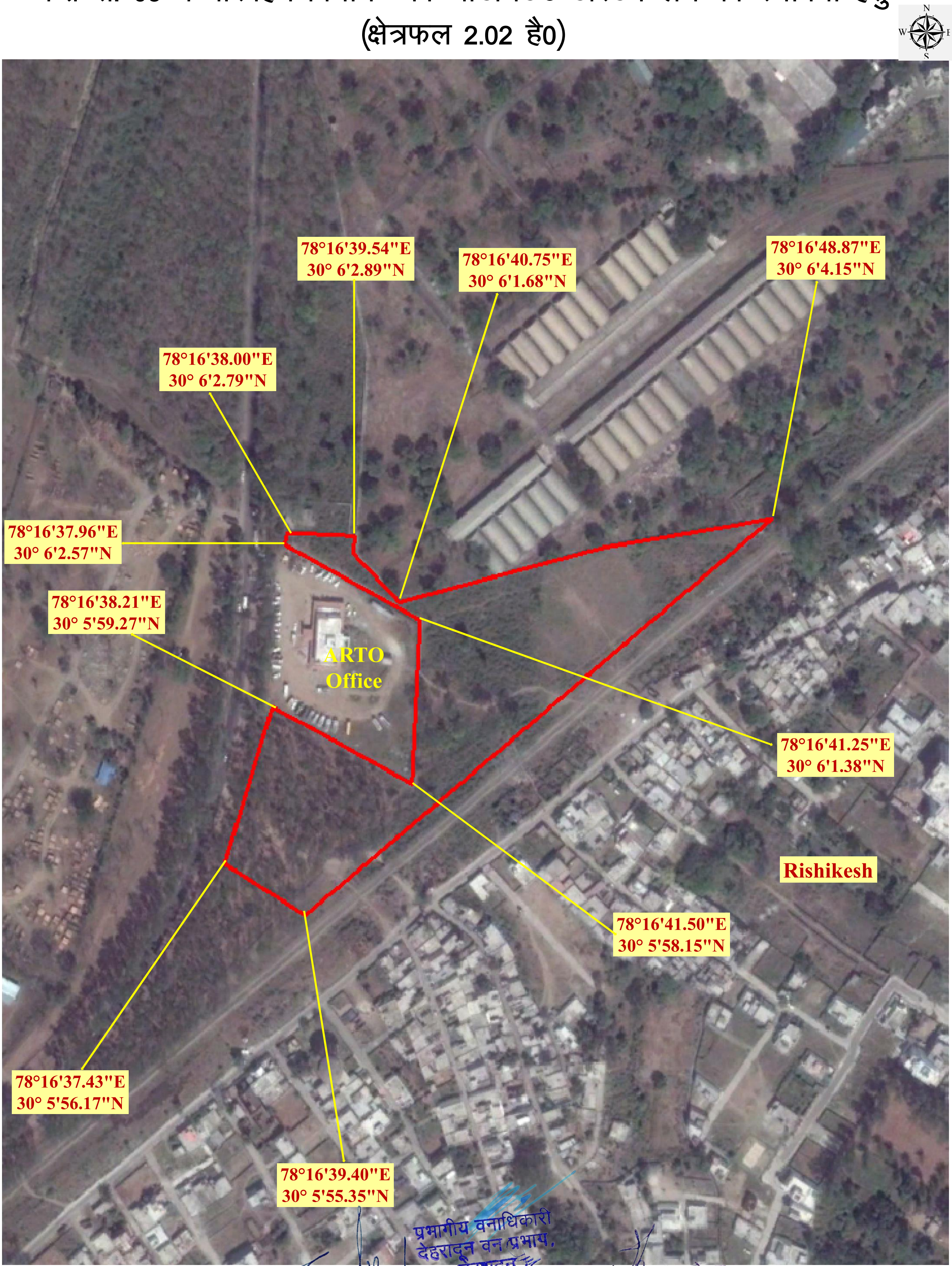

Legend

Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश

डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं. 03 में परिवहन विभाग को आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (क्षेत्रफल 2.02 है0)

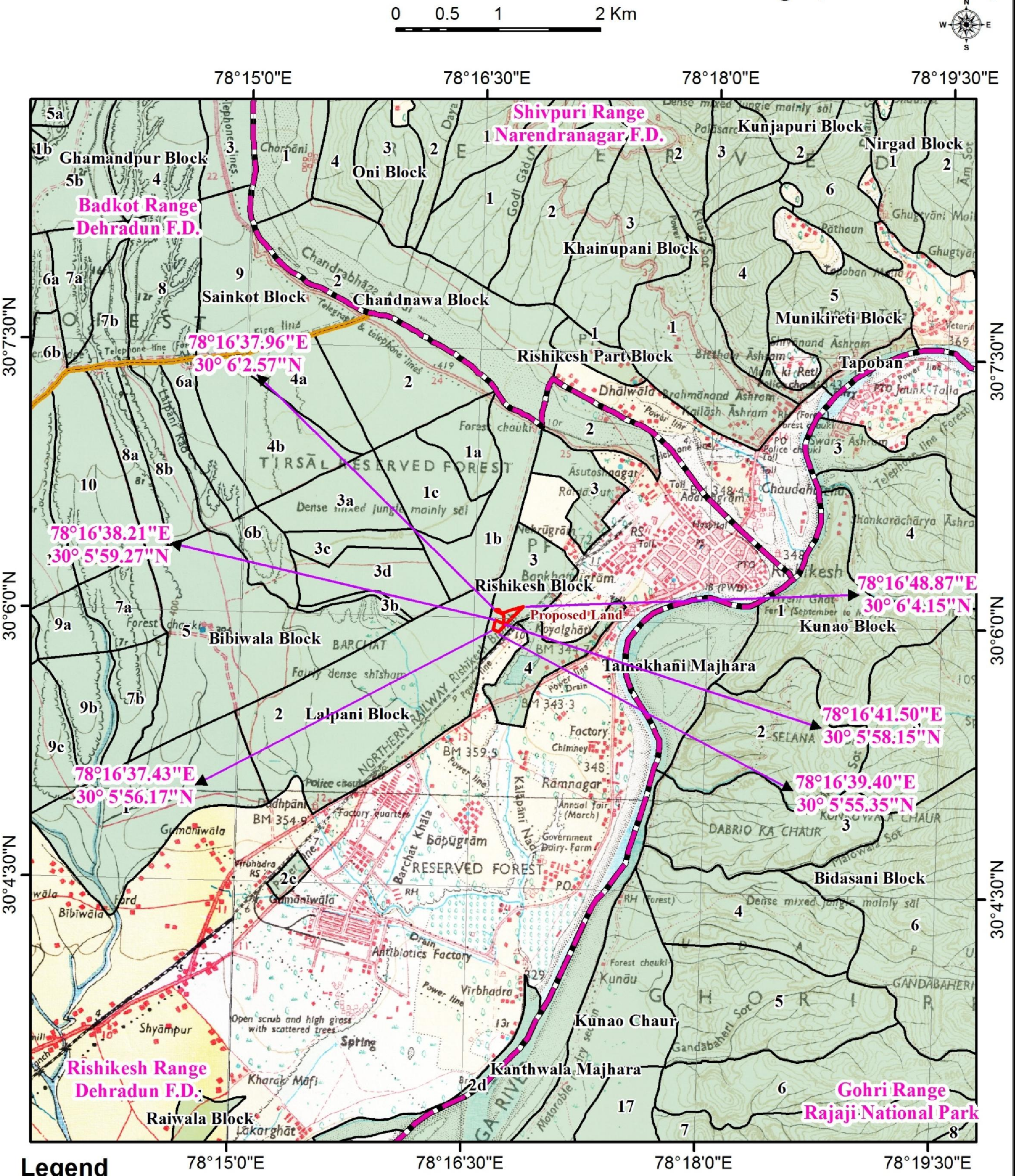

Legend

- Proposed Land
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश, देहरादून।

फोनः 0135–2430623 फैक्सः 0135–2436623,मेल आईडी–artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांक संख्याः 646 /आटो0टे0लेन/2016 दिनांकः 06 जून, 2016

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय : **देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।**

संदर्भः भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा दिनांक–21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/18161/2015 पर की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानव हस्तक्षेप के बिना वाहनों की फिटनेस एवं प्रदूषण की जॉच हेतु ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेने निर्माण का निर्णय लिया गया है इस हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को पूर्व में आवंटित 1.00 है0 वन भूमि से लगी हुई 1.22 है0 वन की आवंटन हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव अपलोड किया गया है ।

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.5.2016 को ई0डी0एस0 में की गई आपत्ति की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया बिन्दु 08 के अनुपालन में योजना निर्माण के संबध में अपनी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून को उपरोक्त विषयक सूचनार्थ प्रेषित ।

(डा0 अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) ऋषिकेश

फोनः 0135–2430623, फैक्सः 0135–2436623

ईमेलः artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांकः–645/आटो0टे0लेन/2016 दिनांक–06.06.2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकरी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून।

विषय– देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग हेतु 2.02 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ–भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/18161/2015 दिनांक–21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव ई0डी0एस0 में की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा ई0डी0एस0 में की गई पृच्छा के क्रम में बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

बिन्दु संख्या–1– परियोजना के भाग 1 में यथा आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।

बिन्दु संख्या–2– पूर्व में स्वीकृति वन भूमि से सम्बन्धित शासनादेश ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या–3– प्रस्ताव में आनलाइन सूचना ठीक कर दी गई है।

बिन्दु संख्या–4– ऑन लाईन प्रस्ताव में सूचना ठीक कर दी गई है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या–5– सूचना ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है जिसकी एक प्रति सलग्न है।

बिन्दु संख्या–6– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि के मानचित्र यथा स्थान अपलोड कर दिये गये है भूमि के म्यूटेशन की कार्यवाही गतिमान है।

बिन्दू संख्या–7– 7 से 9 प्रभाग स्तर से उत्तर दिया जाना है।

बिन्दू संख्या–8– प्रस्ताविक वन भूमि का क्षेत्रफल 1.22 है0 है तथा पूर्व आंवटित वन भूमि 1.00 है0 है कुल 2.22 है0 हाथी गालियार के सम्बन्ध में मुख्य वनजीव प्रतिपालक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हेतु कार्यवाही गतिमान है जिसकी प्रति संलग्न है।

बिन्दू संख्या–10 परियोजना का ले ऑउट प्लान अपलोड कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करना चाहें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 अनिता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकरी
प्रशासन, ऋषिकेश।

O/C

प्रमाण पत्र

विषयः– देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। जिसकी डी0पी0आर0 व ले आउट प्लान की छायाप्रति भारत सरकार द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई गई है।

सहायक संभागीय,परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश।

पत्रांक–646/आटो0टे0लेन / 2016 दिनॉक–6/6/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
देहरादून।

विषयः– देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष संख्या 03 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिंग लेन हेतु 2.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा दिनॉक–21.08.2016 को ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/18161/2015 पर की गई आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित इठारना सिविल में 4.04 है0 भूमि उपलब्ध है जिसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम इठारना में 4.04 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण करने की कृपा करें। ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

भवदीय,

सहायक संभागीय,परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः– 1. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून उपरोक्त विषय में सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) ऋषिकेश।

6/6/16

(७)

उद्धरण खतौनी षष्ठवार्षिक ग्राम गढ़ूल परगना पछवा तहसील ऋषिकेश जि० दे० दून १३९५ फ० १४०० तक

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए: सन्	फसली	सन्	फसली	सन्	फसली	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		वर्ग ६ (क) अन्य कारण वश कृषि रहित भूमि										
४६८	ढांग गैर मुमकिन		१३मि १४मि २३मि २५ २९मि २६मि ३५मि ८३मि ६२मि ९६३ ३०६ ३६३ ३६६ ३८३ ५१६ ५२८ ६७३ ६३३ ६२१ ६२२ ८४२	०.६४८ १.२८१ १.०५२ ०.४६६ १.३५४ ४.४८६ ०.२०२ ०.२९० ०.९२९ ०.३२ ०.६२ ०.०६० ०.०२८ ०.३२० ०.०२८ ०.०२८ ०.०८० ०.२२५ ०.२२५ ०.१६० ०.०८०		✓ श्री मान् स०का० तह० ऋषिकेश के आदेश प्रपत्र ३। आ०। आदेश ३०८।८०-२८-३-०६ के अनुसार खाता सं० ४५६ में अंदर स० १३मि० / ५१,३०२० तथा खाता सं० ४६८ में १३मि० / ०.६४८० है के स्थान पर १३मि० / ०.६४८० दर्ज हो। ह० अपठनीय १६।४।८६ ✓ आदेश S.D.O. महोदय पत्र सं० 7112 ए / 46 के आदेश आदेश S.D.O. / 16-५-89 रकबा 1345 / 25-44 / 1, रकबा 6.94 एकड़ चूंकि पूर्व अवार्ड नं० 8 रकबा - 3.00 एकड़ कुल 9.94 एकड़ का प्रमाण है० डी० एच० आर० हेतु हस्तान्तरित किया जाता है। ह० अपठनीय 17/11/89 – श्री मान् उ०का० तह० ऋषिकेश के आदेश प्रपत्र ३ आ०। की आदेश ५ / २८-२-०६ के अनुसार खाता सं० ४९८ के अन्तर्गत २३मि० / ०.३२४० है के स्थान पर २३मि० / ०१०.२९० व खाता ४६८ में २३मि० / १.०५२० के स्थान पर २३मि० / ०.६४६० दर्ज हो। ह० अपठनीय १८।१।०७						

14.1.023

(3)

उद्धरण खतौनी षष्ठवार्षिक ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जि०देहरादून [illegible] फ०१४०

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए — सन्	फसली	सन्	फसली	सन्	फसली	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	टोंस गैर मुमकिन		८४३	०.०३६		श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी महोदय के आदेश प्रपत्र ३ भाग १ के क्रमांक २८२ दि० २२-३-०६ के अनुसार खाता सं० ४९८ में आराजी ३०२/०.३६३ हे० दर्ज हो। [illegible] १५/६/०६						
			८४६	०.३९६								
			६२१	०.१९६								
			६३०	०.००८								
			६४५	०.०२४		श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी महोदय के आदेश प्रपत्र ३ भाग-१ के क्रमांक ३४३ दि० २३-३-०६ के अनुसार खाता सं० २०३ में गाटा सं० २०२८/०.००८ के स्थान पर २०२३/०.००८ हे० दर्ज हो। तथा मलबाक क्षेत्रफल २०२३/०.००८ हे० ग्राम समाज के खाता सं० ४९८ में दर्ज हो। [illegible] २४/६/०६						
			६४६	०.०४०								
			१०१३/२	०.०१२								
			१३३६मि०	०.०२१								
			१३४६मि०	०.००८								
			१३५०मि०	०.०४६								
			१३५३	०.००४								
			१३६५	०.०४०								
			१३६८	०.००८								
			१४३६	०.०६३		श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी महोदय के आदेश प्रपत्र ३ भाग-१ क्रमांक ३९६ दि० ७-२-०६ के अनुसार खाता सं० ४९८ में खसरा नं० १४६०/२४६० के स्थान पर १४६६/२४६० दर्ज हो। [illegible] १७/६/०६						
			१४६६	०.४६४								
			१४९५	०.४०५								
			१५६३	०.००४								
			१६६५	०.०१२								
			२०३२	०.०४६		श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी महोदय के आदेश प्रपत्र ३ भाग १ क्रमांक २९६ दि० २२-३-०६ के अनुसार खाता सं० ४९८ में खसरा नं० १४३५/०.०२१ के स्थान पर १४३५मि०/०.३४९ हे० दर्ज हो। [illegible] १४/६/०६						
			२१४१	०.०१२								
			२२३५	०.०२०								
			२२५२	०.०३२								
			२२५६	०.००८								

[signature] १४.१.०१५
(शिव कुमार सिंह)
[illegible]

P.T.O.

(5)

उद्धरण खतौनी षष्ठवार्षिक ग्राम गढ़ूल परगना पछवादून तहसील विकासनगर जि० देहरादून फ० १४२०

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए — सन्	फसली	सन्	फसली	सन्	फसली	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6/ नजूल गैर मुमकिन		२२६० २२८८ २२८४ २२९० २३११ २३३५ २३२९ २३६४ २३८२ २४२३ २४८८ २४८२ २४९३ २४९१ २४९४ २४९५ २१२९ मि २३६१/२४३६ ९०५ मि/२४५२ १३४४/२२४४/४ १२०१/२५	०.०२० ०.०९२ ०.०९२ ०.०२० ०.०९५ ०.००८ ०.०९५ ०.००४ ०.०९५ ०.०९२ ०.०३२ ०.०८० ०.३२५ ०.०४८ ०.०३२ ०.२३५ २.५६२ ०.०२८ ३.३२३ ८.२८८ ९.४५६		✓ श्रीमान् एस०डी०एम० महोदय के आदेश प्र०क० रा०अ०-1 क्रमांक 34 दि० 26-2-09 के अनुसार खाता सं० 170 से ग्राम सं० रा.रा.मि./0.7360 के स्थान पर रा.रा.मि./0.7080 दर्ज हो। तथा खाता सं० 460 से रा.रा.मि./0.4050 व खाता सं० 468 से रा.रा.मि./2.6750 हो० खारिज हो। ह० 3/3/09 ✓ श्रीमान् एस०डी०एम० महोदय के आदेश प्र०क० रा०अ०-1 के क्रमांक-378 दिनांक 30-7-08 के अनुसार ग्राम-गढ़ूल के खसरा नं. 113 का रकबा खाता सं. 328/0.0400 पूर्व की भांति दर्ज रहे। तथा बढ़ा हुआ रकबा 113/0.4100 खाता सं. 468 में ग्राम समाज दर्ज हो। ह० 24/3/09 ✓ श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय देहरादून के आदेश सं० 2011/12 ए०- 218 (2008-09) दि० 24 मई 2011 के अनुसार ग्राम-गढ़ूल, ग्राम-सभा गढ़ूल के खसरा नं. 302 रकबा 0.692 है० भूमि से गांवसभा का नाम खारिज कर ग्राम-गढ़ूल में राजकीय इण्टर कालेज स्थापना हेतु शिक्षा-विभाग के नाम भूमि का हस्तान्तर किया गया है। ह० 12/7/2011						

P.T.O.

14.1.025
नायब तहसीलदार
विकासनगर-देहरादून

उद्धैरण खतौनी षष्ठवार्षिक ग्राम परगना तहसील जि०दे०दून

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए						टिप्पणी
						सन	फस्ली	सन्	फस्ली	सन्	फस्ली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	[illegible]		११२	०.०३१								
			११८	०.०२४								
			१२३	०.०३२								
			१४३	०.०८१								
			१६०	०.०१२								
			१४४४/२४४० मि०	४.४३८								
			१८६/२४३६	०.०६६								
			6४	४६.३१२								

उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीबीवाला बाईपास मार्ग, ऋषिकेश जनपद–देहरादून में परिवहन विभाग की प्रस्तावित ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम गडोल, ईठारना खसरा नम्बर 2336 उपयुक्त है। उक्त वनभूमि 4.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है।

19/3/16

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेशरेंज।
वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

तहसीलदार
ऋषिकेश।
तहसीलदार
ऋषिकेश

स0सं0परि0अधिकारी
ऋषिकेश।
डा0 अनीता चमोला
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश

विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना।

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला कक्ष सं0–03 में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) ऋषिकेश की दिनांक 13.02.2015 का कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून	अध्यक्ष
2–	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश वन प्रभाग	सदस्य
3–	श्री सुरेन्द्र सिंह मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती सरोजनी थपलियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना / सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुसंशा की गई

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापान हेतु (1.02 हे0 वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

सरोजनी शर्मा
ग्राम पंचायत
ऋषिकेश–प्रथम (द्वि)
डोईवाला (देहरादून)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, 16/2/2015

डिजिटल मैप – जनपद देहरादून में परिवहन विभाग के आटोमेटिड टेंस्टिग लेन के स्थापना हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

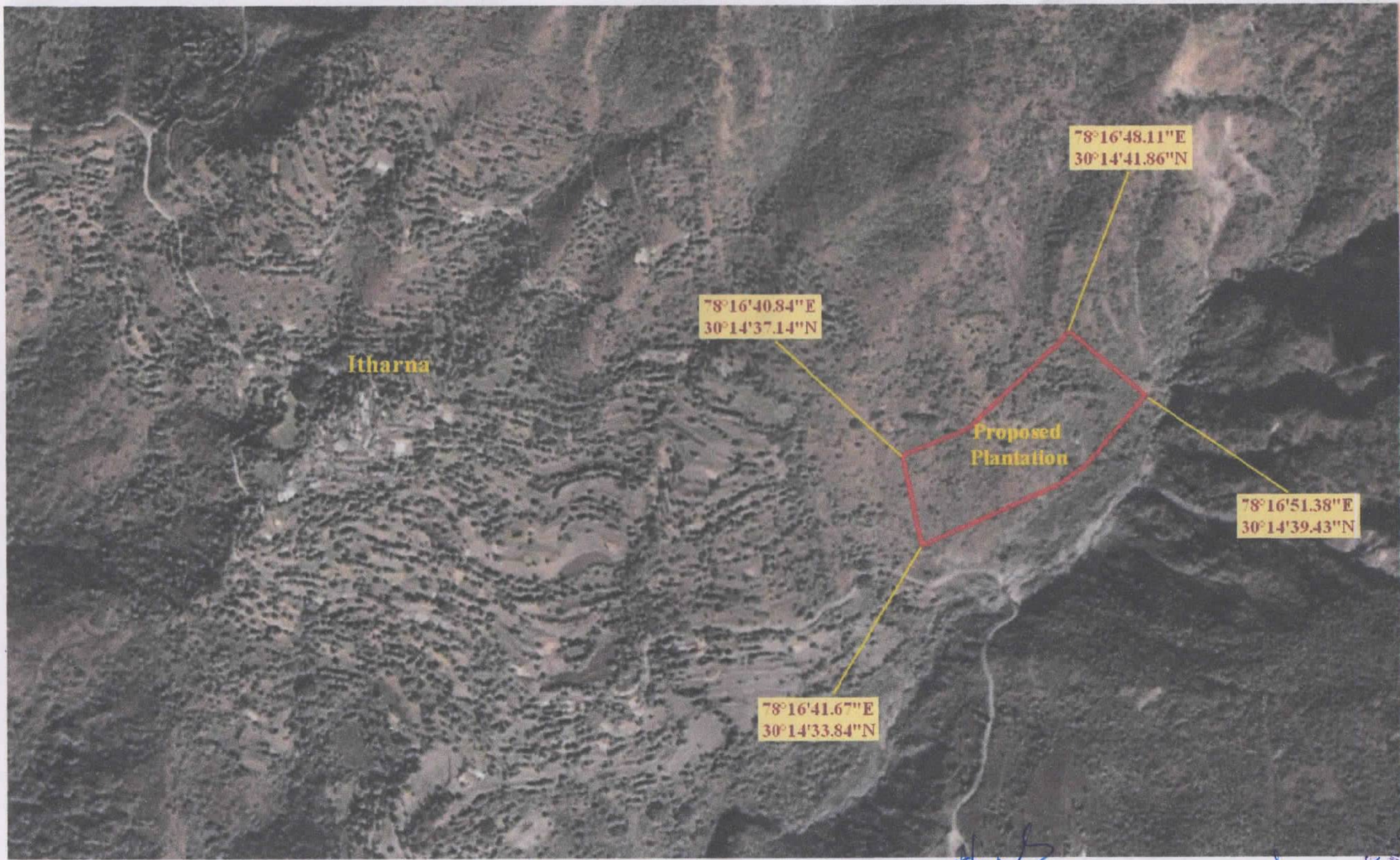

Legend

Proposed Plantation

(आनन्द कुमार जायसवाल)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश

23.3.2015